SHRI K.R. MALKANI: Madam, this is a important question. We want to put some questions. Please use your discretion and allow this Question to be answered.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member who put a Question should be present in the House.

SHRI K.R. MALKANI: But this happened before, when the chair allowed the question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know. This has happened before. But it is wrong. When the questioner himself is not present, then we will be unnecessarily wasting the time of the House.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, this is an important question.

SHRI MD. SALIM: Madam, please permit the question ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't make noise in the House. The Question was put by two hon. Members. Both of them are not here. If they could not be in the House, they should not have put the Question.

छोटा नागपुर के कुर्मी समुदाय के लोगोम का अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

*303. श्री ज्ञान रंजनः क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 1931 के पूर्व तक छोटानागपुर के कुर्मी समुदाय के लोग अनुसूचित जनजातियों की सूची से सूचीबद्व थे;

(ख) क्या छोटानागपुर के कुर्मि समुदाय के लोगों का आर्थिक जीवन, रहन – सहन पूजा पाठ का तरीका, संस्कृति आदि अनुसूचित जनजातियों की तरह है;

(ग) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर हां हों तो क्या सरकार छोटानागपुर के कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सुची में सूचीबद्व करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीम उठता।

(घ) कुर्मी समुदाय को बिहार के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया गया है।

श्री ज्ञान रंजनः उपसभापति महोदया, मंत्री जी का उत्तर सरासर गलत है और इनके विभाग ने इनको गुमराह किया है और मैं समझता हूं कि वेलफेयर डिपार्टमेंत में यही बीमारी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल जो रांची में 1988 में स्थापित हुआ था वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। मैंने स्पेशल मेंशन में भी यह बात कही थी लेकिन आज तक उसमें कोई राय नहीं दी गयी है। इसलिए मेरा यह कहना है कि मंत्री जी का जो उत्तर है, वह पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि इंडिया गज़ेट में यह 1913 में नोटिफाई हुआ था और उसका विवरण में दे सकता हूं।

दूसरा, इनके विभाग ने इस संबंध में इनको विशेष रूप से नहीं बताया है इसलिए मंत्री जी का यह जवाब गलत है और मैं इसको प्रामाणित कर सकता हूं।

उपसभापतिः मंत्री जी, जवाब दें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः बिहार सरकार से मिली सूचना के अनुसार और हमारी सूचना के अनुसार जो मैंने उत्तर दिया है, वह ठीक है। मेरी सूचना के मुताबिक जो टर्म "शैड्यूल्ड ट्राईब" है, 1950 में इसका वजूद हुआ। 1931 में जो सेंसस हुआ, उसके पार्ट I वॉल्यूम 7 में कुर्मी जाति को बैकवर्ड ट्राईब लिखा गया, तो मेरी सूचना ठीक है।

श्री जनार्दन यादवः महोदया, बिहार में दो प्रकार की कुर्मी जातियां है। ...

उपसभापति : आप बैठिए। दूसरा सवाल पहले उन्हें पूछने दीजिए। फिर आप प्रश्न पूछना।

श्री ज्ञान रंजनः महोदया, यह जो मंत्री जी ने कहा है इसके संबंध में हमने क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बताया है कि 1931 में इनको आदिवासी सूची मेम शामिल किया गया था और यह आदेश संख्या 550 दिनांक 2 मई, 1931 का है और यह 3 मई, 1931 के इंडियन गजट में छपा था। उसका अवलोकन कीजिए। उसके अनुसार ये अदिवासी जाति में सम्मिलित थे और इनका रहन-सहन खानपान, धर्म तमाम जो चीजें आदिवासियों

से मिलती-जुलती है। दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने इनको इस जाति में मान्यता दी है और उन्होंने अपनी अधिसूचना जारी की है। बंगाल सरकार ने इनको आदिवासी जाति में रखा है। बिहार सरकार के टेंडेंसी एक्ट में भी इनको रखा है और दूसरे कामों में बैंक्स के राइट में, रक्षा करने के संबंध में अधिकार दिया गया है तो ऐसी हालत में इनको बैकवर्ड क्लास में लेने के बजाय इनको आदिवासी जाति में शामिल किया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है। इसके पहले काफी लोगों ने क्वेश्चन उठाया, यह बात सही है कि जो सरकार आती है वह पोलिटीकल मोटीवेटिड होकर जातियों को सूची में शामिल करती है। मैं मंत्री जी से यह मांग करता हूम कि इस संबंध में एक विशेष कमेटी का आप गठन करें और इस जाति को आदिवासी जनजाति की सूची में शामिल करें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः माननीय उपसभापति महोदया, जैसा आनरेबुल सदस्य ने कहा कि ये 1913 में आदिवासी थे, मैं इसको देख लूंगा और अगर वह कोई प्रामणित बात हुई तो मैं उसके लिए क्षमता याचना करूंगा। लेकिन 1931 में जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जनाब के जरिए हाउस को तो उनका तो बैकवर्ड ट्राइब्स में जिक्र आता है और छह सितम्बर, 1950 को आर्टिकल 342 में जो जिक्र आया उसमें उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लिया गया और अब उनको ओबीसी में शामिल किया गया है। अगर माननीय सदस्य कहते है कि किसी कमेती का गठन किया जाये तो मैं कमेटी के गठन की बात नहीं कह सकता।

श्री जनार्दन यादवः मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को बिहार की जानकारी है या नहीं है? बिहार में दो प्रकार के कुर्मी होती है। एक कुर्मी वह है जो मध्य बिहार, उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार में है और जो ओबीसी के अन्दर आते है और छोटानागपुर , संथाल परगाना के जो कुर्मी है वे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते है। उनका रहन-सहन, खानपान सब आदिवासियों जैसा है। उसके साथ ही वहां जो धुनिया है, घटवार है, पैरगा है वह भी आदिवासियों के अन्दर आते है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या आप इसकी पुनः जांच करवायेंगे कि जो वहां आदिवासी कुर्मी है, छोटा-नागपुर करवायेंगे कि जो वहां आदिवासी कुर्मी है, छोटा-नागपुर, संथाल परगना के उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्ल में आप केन्द्रीय सरकार के माध्यम से जोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है? आप इसकी जांच करवाना चाहते है या नहीं?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः मैडम, माननीय सदस्य ने कहा कि क्या मंत्री को बिहार की पुर्ण जानकारी है। अरे हम तो भाई है, एक भाई को जानकारी है तो दूसरे भाई को भी जानकारी हो जायेगी। आप क्यों परवाह करते हो। ...

उपसभापतिः वे इतनी अच्छी जानकारी आपको दे रहे है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः जो आपने पहला प्रश्न जनाब से किया और आपसे पहले जो प्रश्न का उत्तर है इसमें मेरा स्टैंड वही है।

श्री जनार्दन यादवः नहीं आपने कहा था कि ओबीसी....(व्यवधान)....

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः नहीं आपने कहा था कि इसकी जांच करवाइये..

उपसभापति : पहले जवाब तो देने दीजिए यादव जी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः जो आपका प्रश्न कलाबेवाले या दूसरे कुर्मी का है इसकी मैं जांच करवा लूंगा।

श्री गया सिंहः मैडम, दो माननीय सदस्यों ने जो बिहार का सवाल उठाया है वह मुख्य सवाल कुर्मी जाति के संबंध में था। और जनार्दन जी ने जो सवाल उठाया उसमें इसमें और कंफ्यूजन कर दिया है। क्योंकि बिहार में कुर्मी जाति एक ऐसी जाति है जिसमें कम से कम पचास उपजातियां है। केवल दो ही नहीं है इसीलिए मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उनसे सहमत हूं। जहां तक सवाल है छोटा नागपुर को , कुर्मी जति कुम्हार इसमें जितनी तरह की जातियां है मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि तीस सालों से मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि तीस सालों से मैं जानता हूम। वहां अति पिछडी जाति आदिवासियों को छोड़कर आमतौर से कुर्मी ही कहलाते है, और वह महतो, कुम्हार महेतो, धानक मेहतो, लुहार मेहतो, तेली मेहतो ये सब पुकार जाते है। ज्ञान रंजन को पूरी जानकारी है। उनका सवाल था कि इसमें कुछ ऐसी उपजातियां है जो आदिवासियों के समकक्ष हैं, टोटल कुर्मी नहीं है क्योंकि आदिवासियों की मैक्सेमम जमीन इन्हीं कुर्मी जातियों ने हड़प ली है। बड़े-बड़े जमींदार भी इसी कुर्मी जाति के है और इसी कुर्मी जाति में कुछ ऐसी जातियां भी है जो अति पिछडी जातियां भी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से और जो माननीय ज्ञान रंजन जी ने सवाल उठाया है कुछ ऐसी छोटा नागपुर संथाल परगना में कुछ अति पिछडी जाति के लोग है जो आदिवासियों के समकक्ष है, क्या मंत्री जी

इनकी कोई जाँच करायेंगे, अगर उसमें ऐसी संभावना है कि उसकी जाँच पड़ताल करने के बाद उस पर कुछ कार्यवाही हो तो मैं समझता हूं कि मंत्री जी हाउस में एश्योरेंस देना चाहिये।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मैंने कहा कि पहले भी श्री हनुमनतप्पा जी ने ऐसी शंका जाहिर की है कि ऐसी कम्युनिटीज का नम्बर बढ़ता जायेगा, जो मूलत: समस्याएं है उनको नजर-अंदाज करना भी कठिन है। लेकिन इतने बड़े फ्लड गेट को खोलना भी कोई आसान बात नहीं है। माननीय चेयर ने अभी डायरेक्शन दी है कि हाउस को इसमें कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। फिर हाउस पर ही छोड़ा जायेगा। वे जैसा मुझे हुक्म करेंगे और उसके मुताबिक मैं करूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Q.No. 304.

श्री महेश्वर सिंह: मैडम, ...(व्यवधान)....

उपसभापति : नहीं, वह बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें हम इधर-उधर नहीं जायेंगे।

No, I am sorry. ...*(Interruptions)*...

Delegation of powers to States for renewing the Mining Leases

*304. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government propose to delegate powers to States to renew mining leases and prospective licences;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have constituted a committee in this regard;

(d) if so, the details thereof alongwith the composition of the committee; and

(e) by when the committee is likely to submit its report?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 26 of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 have directed (vide Notification No. 69 (E) dated 30th January, 1997), that the powers for renewal exercisable by it under Sub-Section (2) of Section 7 and Sub-Section (2) of Section 8 of the Act, in respect of minerals specified in Part-C of the First Schedule to the Act, in an area in a State shall be exercisable also by the Govern ment of that State.

(c) to (e)The Central Government have Constituted a Committee under the Chairmanship -of Secretary (Mines), Government of India with Additional Secretary, Ministry of Mines as Vice Chairman, Mining Secretaries of State Governments of Orissa, Rajasthan. Karnataka, Madhya Pradesh. Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat. Assam and Himachal Pradesh, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries and Controller Gencr al, Indian Bureau of Mines, as Membeu and Joint Secretary, Ministry of Mines as Member Secretary. The terms of reference of the Committee *inter-alia* include review of the existing laws and procedures governing regulation and development of minerals and to recommend steps to make them compatible with the policy changes and to suggest steps to reduce delays in grant/renewal of Prospecting Licence/Mining Lease. The Committee is also to consider and suggest further delegation of powers to the State Governments regarding grant/renewal of Prospecting Licence/Mining Leases and measures to be taken to prevant illegal mining. The Committee is expected to submit its report as early as possible.

SHRI PARAG CHALIHA: Madam, my first supplementary is this: I would like to know from the hon. Minister details of minerals listed in Part-C of the First Schedule of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957. As per the written reply, these minerals have been deleted from there vide notification number so and so. In this connection, I would like to know from the Minister the reason which prompted him to this sort of deletion and